

प्रेषिका,

शालिनी
अपर सिविल जज, (कनिष्ठ श्रेणी)
न्यायालय कक्ष सं०-२०,
जनपद न्यायालय इलाहाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद इलाहाबाद।

विषय:—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित आपत्ति के सन्दर्भ में।

माननीय महोदय,

उपर्युक्त विषय पर ससम्मान निवेदन करना है कि श्रीमान जी मेरे द्वारा दूरस्थ प्रणाली से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा से एल०एल०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति के लिए दिनांक 14.10.2020 को प्रार्थना पत्र आई०डी०-1213 दिनांकित 24.09.2020 श्रीमानजी की सेवा में प्रेषित किया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में सादर निवेदन करना है कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति की प्रत्याशा में उक्त पाठ्यक्रम (एल०एल०एम०) में अभी तक प्रवेश नहीं लिया है और न मेरे द्वारा इस बीच परीक्षा दी गई है।

मैं, यह घोषणा करती हूँ कि दूरस्थ प्रणाली से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से एल०एल०एम० पाठ्यक्रम के दौरान कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इसलिए मैं किसी कक्षा में उपस्थित नहीं होऊँगी और न ही मैं अध्ययन हेतु अवकाश प्राप्त करूँगी एवं न्यायिक कार्य सम्पादित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करूँगी।

सूची पत्र (Prospectus) की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

ससम्मान

दिनांक 17.02.2021

भवनिष्ठा

(शालिनी)

अपर सिविल जज, (कनिष्ठ श्रेणी)
न्यायालय कक्ष सं०-२०,
जनपद न्यायालय इलाहाबाद।
आई०डी०-यू०पी०३७५१